



Indore Nagar Nigam

INDORE Division

Fire Safety Certificate

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र


जावक क्रमांक/Dispatch Number	जावक तिथि / Dispatch Date	आवेदन तिथि / Application Date
CB-2500000135/FNOC/COL/2025/8868	29/09/2025	28/08/2025

आवेदन क्रमांक / Application No. :	CB-2500000135	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :	Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :	Educational Building / शैक्षिक भवन	भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building Height(Mtr) :	15
निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) / Built-up Area(Sq.Mtr) :	8143.28	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) / Plot Area (Sq.Mtr) :	17627
आवेदक का नाम / Applicant Name :	ST. ARNOLD'S SCHOOL		
संपत्ति का पता / Property Address :	ST. ARNOLD'S SCHOOL 7/1, WARD- 48, PB.-106, BOUNDARY ROAD, INDORE		

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority

अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण किया गया निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अग्निशमन उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं तथा उपयुक्त अग्निशमन व्यवस्था होने का निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है समिति के परीक्षण तथा निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधानित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

- भवन में फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. रिक्त रखा जावे ।
- भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन उपकरण हर समय आपरेशनल /चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा समस्त अग्निशमन उपकरणों के आपरेशनल/चालू होने का रिकार्ड विधिवत रखा जावे । भवन में कार्यरत/उपलब्ध समस्त स्टाफ को भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा ।



Commissioner, Indore Nagar Nigam
Indore Division, Madhya Pradesh

3. अग्निशमन उपकरणों का रख-रखाव मानकों के आधार पर निर्धारित समयानुसार किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक / भवन स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ अग्नि सुरक्षा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4. आवेदक / भवन स्वामी द्वारा भवन में नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारण आई. एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अग्निशमन प्रशिक्षित/अर्हताधारी कर्मचारी/अधिकारी रखना अनिवार्य होगा।

5. भवन में हाउसकीपिंग का विशेष ध्यान रखा जावे तथा अनावश्यक एवं ज्वलनशील पदार्थों का संधारण भवन में नहीं किया जावे।

6. भवन के सभी फ्लोर एरिया के बाहरी निकासों को निर्बाध रूप से खुला रखा जावे किसी भी स्थिति में अवरोध नहीं डाला जावे।

7. आवेदक / भवन स्वामी को प्रदाय किया जा रहा अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) जारी दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा और यह अवधि समाप्त होने के "एक माह पूर्व" पुनः फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. उल्लेखित भवन स्वामी /संचालक को भवन का प्रत्येक वर्ष 30 जून तक निर्धारित परिशिष्ट एवं प्रारूप में अग्नि ऑडिट रिपोर्ट एवं संबंधित विभाग से विद्युत् सुरक्षा प्रमाण-पत्र कार्यालय की फायर शाखा में अग्निशमन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा यह प्रमाण-पत्र मात्र अग्नि सुरक्षा हेतु है यह भू उपयोग या भवन-अनुज्ञा को मान्यता प्रदान नहीं करता है और न ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है।

उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) जारी करने की स्वीकृति प्रदाय की जाकर तदनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।



Signature valid

Signed by: Rishi
Sisoniya J.S.
Reason: Apply for
NOC
Location: 0152
Date: 2025-09-29
19:21:08

E-sign

Commissioner, Indore Nagar Nigam
Indore Division, Madhya Pradesh